



## महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

### पुस्तक आपूर्तिकर्ताओं के पंजीयन हेतु विज्ञाप्ति

दिनांक 25.09.2021

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं (Vendors) से पंजीयन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। पुस्तकों की आपूर्ति हेतु पंजीयन (Registration) अनिवार्य है। गैर-पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को कोई क्रयादेश जारी नहीं किया जा सकेगा। इच्छुक आपूर्तिकर्ता (Vendor) विश्वविद्यालय की शार्तों के अनुसार ई-मेल cl.hindivishwa@gmail.com पर दिनांक 11/10/2021 को सायं 6.00 बजे तक पंजीयन हेतु आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

ग्रादर चवान्  
कुलसचिव  
27/09/21

विज्ञापन गतिवारी  
25.09.21

## पुस्तक आपूर्ति हेतु नियम व शर्तें

- विश्वविद्यालय द्वारा जारी क्रयादेश की तिथि से स्वदेशी पुस्तकों को 45 दिनों के भीतर एवं विदेशी पुस्तकों को 60 दिनों के भीतर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। अन्यथा क्रयादेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- अंग्रेजी एवं हिंदी पुस्तकों पर कम से कम 20% छूट देनी अनिवार्य होगी।
- निर्धारित अवधि के भीतर क्रयादेशित पुस्तकों की 75% से कम आपूर्ति होने पर 10% अतिरिक्त राशि काटी जाएगी।
- पुस्तक का उपलब्ध नवीनतम संस्करण एवं उस पर अंकित मूल्य (Printed Price) ही खरीद हेतु मान्य होगा।
- विदेशी प्रकाशकों से मूल रूप से प्रकाशित पुस्तकों का मूल्य प्रमाण-पत्र देना होगा। क्रयादेश के दिनांक के दिन की ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित परिवर्तन दर (Conversion Rate) टी.टी.सेलिंग दर (TT Selling Rates) ही मान्य होगी।
- विदेशी पुस्तकों के बिलों के साथ आपको अपना क्रयादेश बीजक (Invoice) भी देना होगा।
- क्रयादेशानुसार यदि पुस्तकें नहीं पाई गई तो उन पुस्तकों का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- डाक व्यय और परिवहन व्यय प्रकाशन एवं अलग वितरक को देना होगा तथा पुस्तकों की डोर डिलेवरी (Door Delivery) करानी होगी।
- जीएसटी व आयकर संबंधी टैन/पैन (TAN/PAN) नंबर देना अनिवार्य होगा।
- आपूर्ति के उपरांत यदि कोई पुस्तकें डिफेक्टिव (पृष्ठ खराब होना, पृष्ठों की आवृत्ति, कम पृष्ठ होना आदि) पायी गई तो उन पुस्तकों को नई पुस्तकों से बदलना होगा। भले ही उन पुस्तकों की पुस्तकालय में प्रविष्टि दर्ज कर ली गई हो।
- आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकें तीन साल से ज्यादा की अवधि की नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो उन पुस्तकों को रिमेंडर माना जाएगा, जिस पर अतिरिक्त छूट देना होगा।
- आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकें मूल प्रकाशक की होनी चाहिए। पुस्तकें नकली (Fake) होने की स्थिति में उसका भुगतान नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में आपूर्तिकर्ता ही किसी विधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों का भुगतान क्रयादेश में उल्लिखित उसके स्वरूप के आधार पर (यथा – पेपरबैक/हार्डबाउंड/ इंटरनेशनल संस्करण के अनुसार) ही किया जाएगा।
- भुगतान हेतु बैंक का नाम, खाताधारक का नाम, बैंक शाखा का स्थान तथा आई.एफ.एस.सी.बीजक के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
- किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा तथा किसी भी प्रकार के न्यायालयीन वाद-विवाद का क्षेत्र वर्धा न्यायिक क्षेत्र होगा।

कानून  
कुलसचिव  
१८/१५

लालू कानूनी  
२५.०९.२१